

(Refers to Para 6 of SOP for Tipper Attachment by ESM)

**कोयला परिवहन के लिए टिप्पर-ट्रक के अटैचमेंट हेतु आवेदन**

कृप्या यहाँ  
अपना पासपोर्ट  
साइज का फ़ोटो  
चिपकाएँ

(1) सर्विस नम्बर, रैंक और नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

.....

(2) पीपीओ No.....

(3) पहचान पत्र No.....

(4) Unit/Regt.....

(5) Date of Retirement.....

(6) Present Occupation.....

(7) आवेदक के निवास का स्थाई पता

.....

(8) टेलीफोन या मोबाइल नम्बर .....

(9) ई मेल आई डी,.....

(10) आवेदक की जन्म तिथि .....

(11) आपकी कुल मासिक पेंशन /परिवारिक पेंशन मंहगाई भते सहित .....

(12) दस्तावेजी प्रमाण जैसे कि सर्विस ब्योरे @ राशन कार्ड आदि आश्रित होने के प्रमाण के तौर पर संलग्न किए जाएँ

(13) आवेदक की मृत्यु होने या विक्षिप्त होने की स्थिति में निकटतम रिश्तेदार के निम्नलिखित ब्योरे रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करें.

नाम	लिंग	संबंध	जन्म तिथि	पता/फोन नंबर/ई मेल

दिनांक :- \_\_\_\_\_

**(आवेदक के हस्ताक्षर)**

(आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर कर तथा आपेक्षित दस्तावेजों और एफिडेविट के साथ निदेशक स्वरोजगार , महानिदेशालय पुनर्वास , पश्चिमी खण्ड 4, रामकृष्णा पुरम , नई दिल्ली -110066 को भेज दे)

टिप्पर& ट्रक के अटेचमेंट हेतु आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने

वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्र सं	मद	प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिए	स्वरोजगार निदेशालय द्वारा टिप्पणी
1	क्या आपने आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया है	हाँ / नहीं	
2	क्या अपने प्रारम्भिक पीपीओ की प्रति संलग्न की है।	हाँ / नहीं	
3	क्या आपने राज्य/ जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक या सैनिक की विधवा होने का पहचान पत्र संलग्न किया है ।	हाँ / नहीं	
4	क्या आपने अपनी आयु का प्रमाण प्रस्तुत किया है	हाँ / नहीं	
5	क्या आपने 10 रूपए के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लगाया है ।	हाँ / नहीं	
6	क्या आपका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित किया हुआ है।	हाँ / नहीं	

टिप्पणी

1. प्रार्थना पत्र के सभी कॉलम ठीक प्रकार से भरें और कोई भी कलम खाली न छोड़ें.
2. कृपया सभी कॉलम साफ़-साफ़ भरें और साथ में भेजे जाने वाले दस्तावेज भी पढ़ने योग्य तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित होने चाहिए.
3. कभी भी आपके निवास के पते या टेलीफोन/मोबाइल नम्बर के बदलने पर इस कार्यलय को अवश्य सूचित करें.

**(शपथ पत्र का प्रारूप जो की 10 रुपये के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए)**

1. मैं .....पुत्र..... एतद द्वारा सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मैं वर्तमान में सेवारत नहीं हूँ / स्व-रोजगार नहीं चला रहा हूँ।
- (ख) मैंने अभी तक डीजीआर की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया है।
- (ग) मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है।
- (घ) मैं यह स्कीम स्वयं चलाऊंगा और किसी और को अपने नाम पर चलाने के लिए नहीं दूंगा।
- (ङ) टिप्पर मिलने पर उसका रजिस्ट्रेशन मैं खुद अपने नाम पर करवाऊंगा।
- (च) जो भी पैसा टिप्पर स्कीम में लगाया जायेगा वह मेरे बैंक अकाउंट से जायेगा और उसकी प्रविष्टि मेरी पास बुक की कापी में की जायेगी जिसकी प्रति मैं बाकी दस्तावेजों के सहित संलग्न करूंगा।
- (छ) अगर किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्कीम मेरे नाम पर कोई और चला रहा है या मैंने इसमें अपना पैसा नहीं लगाया है तो डीजीआर को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे जिसमें मेरी पेंशन के जप्त होने का भी प्रावधान है, और मुझे इससे कोई इतराज नहीं होगा।

2. इस शपथ पत्र में की गयी सभी घोषणाएँ मेरी अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसका कोई भाग असत्य नहीं है और न ही कोई महत्वपूर्ण बात छुपाई गयी है। अगर मेरे द्वारा आवेदन पत्र में या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी कोई सूचना व जानकारी कभी भी असत्य या झूठी पाई जाती है तो पुनर्वास महानिदेशालय को यह अधिकार होगा कि मेरा नाम कोयला ढोने व परिवहन करने वाली कंपनियों की टिप्पर ट्रक योजना की प्रतीक्षा सूची से निकाल दें या इस विषय में मेरी पात्रता रद्द कर दें।

हस्ताक्षर .....

पता .....

.....

संपर्क टेलीफोन या मोबाइल न० .....

**दिनांक**

(साक्षी 1) हस्ताक्षर .....

साक्षी का नाम व पता .....

.....

(साक्षी 2) हस्ताक्षर .....

साक्षी का नाम व पता .....

